न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 55/2019

1. रूपराम पुत्र सरदारा राम जाति कुम्हार साकिन ख्यालीवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
2. मोहन लाल पुत्र सरदारा राम जाति कम्हार साकिन ख्यालीवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर

— — प्राथी

—:: बनाम ::—

1. रामेश्वर पुत्र आसा राम जाति कुम्हार साकिन चक 6 एल एन पी कुण्डलावाली तह0 जिला श्रीगंगानगर राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री ओमप्रकाश बतरा	— — प्रार्थी 1, 2
2. श्री राजेश गुम्बर	— — अप्रार्थी 1
3. पैरोकार राज	— — अप्रार्थी 2

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 28.02.2020

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीयान के नाम से चक 6 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर का खाता सख्या 40/57 मुरबा न0 37 के किला न0 4, 5, 6 ,7, में 4 बीघा रकबा खातेदारी दर्ज है। जमाबंदी की नकल शामिल है। प्रार्थीयान के उपरोक्त रकबा के साथ अप्रार्थी स01 का खाता सख्या 79/79 मुरबा न0 38 का किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 20, का कुल 1.549 हैक्टयर रकबा खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी के मु0न0 38 के किला न0 2, 9, 13, के साथ खाल/नहरी कुतरी जा रही है तथा इसके साथ साथ रास्ता चल रहा है प्रार्थीयान अप्रार्थी स0 1 के मुरबा न0 38 के किला न0 1–2 के उतरी हिस्सा में इस प्रचलित रास्ता से अपने रकबा मुरबा न0 37 के किला न0 5 के उतरी पूर्वी भाग में दाखिल होते हैं। प्रार्थीयान के रकबा के लिए अप्रार्थी स0 1 के उपरोक्त मुरबा न0 38 के किला न0 2 व 1 के उतरी हिस्सा में प्रचलित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है इस प्रकार प्रार्थीयान अप्रार्थी की सहमति से मरता "न0 38 के किला न0 2–1 में प्रचलित रास्ता से अपने रकबा में आवागमन कर रहे है। अप्रार्थी स0 1 के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह गत प्रचलित रास्ता में आवागमन में बाधा पैदा करने के प्रयास में है क्योकि यह प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत नहीं है इसलिए इस रास्ता को स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है जिससे कि रिकार्ड में रास्ता दर्ज हो सकें तथा भविष्य में अप्रार्थी स0.1 आवागमन में बाधा पैदा ना कर सके। पटवारी द्वारा जारी आंशिक नक्शा की प्रति शामिल है। प्रार्थीयान रास्ता में आने वाले भूमि का डी एल सी रेट से मुआवजा अदा करने को तैयार है। प्रार्थीयान व अप्रार्थी स0 1 के नाम उपरोक्त भूमि दर्ज होने के सम्बंध में जमाबंदी की नकले शामिल है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(1) आर टी एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:11 IST
Reason: SelfAttested

बाबत् स्वीकति रास्ता प्रार्थीयान के रकबा चक 6 एल एन पी खाता स0 40/59 मु0न0 37 के किला न0 4,5,6,7, के लिए अप्रार्थी स0 1 का रकबा चक 6 एल एन पी के खाता स0 79/79 मु0न0–38 के किला न0 1 का 0.253 हैक्टयर 2 का 164 हैक्टयर के उतरी हिस्सा में एक–एक विस्वा चौडाई में रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित करते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2063–2066, ग्राम 6 एलएनपी, पटवार सर्किल 6 एलएनीपी खाता संख्या 59/57 मुरब्बा नम्बर 37, खामा संख्या 85/9 मुरबा नम्बर 37 एवम् जमाबंदी सम्वत् 2067–2070, ग्राम 6 एलएनपी पटवार सर्किल 6 एलएनपी खाता संख्या 79/79 मुरब्बा नम्बर 14, 38 प्रस्तुत की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 06.12.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे दर्ज तथ्य स्वीकार नही है क्योंकि खाता संख्या 40/57, मुरब्बा नम्बर 37 की कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम से मुश्तर्का खाता मे दर्ज है। शेष सहकाश्तकारो द्वारा रास्ता सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे दर्ज तथ्य कि मुझ अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि होना स्वीकार है। शेष तथ्य स्वीकार नही है क्योंकि/नहर के साथ साथ कोई रास्ता नहीं चल रहा है। नहर के साथ साथ वन विभाग की भूमि है। जिस पर वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये हुए हैं। जिसकी देख रेख वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इस सम्बन्ध मे रिपोर्ट भी मंगवाई जा सकती है। इस मद मे झूठे कथन दर्ज किये गये है कि भूमि पर मौका पर रास्ता चल रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे दर्ज तथ्य स्वीकार नहीं है क्योंकि मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 2 व 1 मे रास्ता नहीं चल रहा है। उक्त किलाजात पर मुझ अप्रार्थी की फसल काश्त की हुई है और ना ही उक्त किलाजात पर रास्ता कभी चालू था, इसलिये सहमति का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता, क्योंकि मौका पर रास्ता नहीं चल रहा है। मौका पर रास्ता मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 मे रास्ता चल रहा है जो कि मुरब्बा नम्बर 37 के साथ चिपता हुआ है। इस सम्बन्ध मे रिपोर्ट व फोटोग्राफ भी पेश किये जा रहे है। उक्त रास्ता ख्यालीवाला 6 एलएनपी की सड़क से निकलता है एवम् प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान उक्त रास्ता से ही कृषि कार्य करते आ रहे है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वेग तथ्यों पर पेश किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि पर कभी रास्ता चला ही नही है तो रास्ता स्वीकृत करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इसलिये प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे रास्ता का अंकन करवाने के अधिकारी नही है। अतिरिक्त कथनः– प्रार्थीगण द्वारा सहकाश्तकारों को पक्षकार नही बनाया है क्योंकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि है और ना ही सहकाश्तकारों द्वारा रास्ता की मांग की गई है। सहकाश्तकारान के पक्षकार के अभाव मे भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवम् जब तक प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि का किलाजात [illegible] नही करवा लेते तब तक प्रार्थीगण रास्ता के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र पेश करने के [illegible] है। गांव ख्यालीवाला की सड़क के साथ चिपते हुये मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 मे स्वीकृत शुदा रास्ता चल रहा है जो कि मुरब्बा नम्बर 37 के साथ चिपता हुआ है। प्रार्थीगण एवं अन्य काश्तकारान इसी रास्ता का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इस सम्बन्ध मे रिपोर्ट तहसीलदार व मौका की फोटोग्राफ जवाब के साथ पेश की जा रही है। इसलिये प्रार्थीगण नये रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये भी प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार रास्ता मंजूर नही करवा सकते बल्कि अत्यन्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:11 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यकता हो तो ही रास्ता मंजूर किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है एवम् प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे अत्यन्त आवश्यकता के सम्बन्ध मे कोई आधार नही बताया गया है। इसलिये प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नही है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्रा मय शपथ पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता ही नही है। प्रार्थीगण द्वारा जान बूझ वेग तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त :–

2019(2) RRT 1543,
[Citation :2017DNJ(Revenue) 1],
2018-19(Supp.) RRT 576,
2016(2) RRT 1281,

RRD- 14.08.2017 Pritam Singh V/s Menpal & Anr. 515 पेश किये गये। तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार मुरबबा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 तक स्वीकृत शुदा रास्ता है, जबकि वादीगण की भूमि किला नम्बर 4 से शुरू होती है, वादीगण को वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, वादी ने पडोसियों से निवेदन कर खडी फसल में से गुजर कर काश्त की है। पत्रालवी पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी–2 द्वारा प्रस्तुत जवाब, प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन कर न्यायिक दृष्टान्तों एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का अभाव है, एवं प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 6 एल एन पी खाता स0 40/59 मु0न0 37 के किला न0 4,5,6,7, के लिए अप्रार्थी स0 1 का रकबा चक 6 एल एन पी के खाता स0 79/79 मु0न0–38 के किला न0 1 का 0..253 हैक्टयर 2 का 0.164 हैक्टयर के उतरी हिस्सा में एक–एक विस्वा चौडाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 28.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:41 IST
Reason: Self-Attested

(उम्मेद सिंह ...)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर